

By Speed Post

F. No. A-12018/06/2014-NTH  
Government of India  
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution  
Department of Consumer Affairs

\*\*\*\*\*

Gallery No.12/2, Jamnagar House  
Shahjahan Road, New Delhi – 110 011  
Dated, the 03 March, 2017

To

The Director General  
National Test House,  
Sector-V, C.P. Block,  
Salt Lake, Kolkata-700091.

Subject:- Seventh Central Pay Commission's recommendations – Amendment of Recruitment Rules for the post of Scientific Assistant in National Test House.

Sir,

I am directed to refer to Department of Personnel & Training O.M. No.AB-14017/13/2016-Estt. (RR) dated 9<sup>th</sup> August, 2016, on the above mentioned subject and to forward herewith a copy of the Revised Recruitment Rules -2017 for the post of Scientific Assistant of various disciplines in National Test House duly notified in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub Section (i) vide GSR No.31 dated 02.02.2017 for record and official use. These Recruitment Rules are also available on the website of [egazette.nic.in](http://egazette.nic.in) under the name of this Ministry.

Encls : As above

Yours faithfully,



(D.K. Sonker)

Deputy Director (NTH)

Tel No.23073612

E-mail: [d.sonker@nic.in](mailto:d.sonker@nic.in)

Copy to:

1. Director/ scientist-In charge, All regional Branches, National Test House,
2. Department of Personnel and Training, Estt.(RR)Division, North Block, New Delhi
3. Secretary, Union Public service Commission [Kind attention: Shri B.S. Heet, Under Secretary (RR).]
4. L-1, Legislative Department, Shastri Bhavan, New Delhi. (OL) & (English).
5. The Parliament Library, Parliament Annexe, Parliament Street, New Delhi(Two copies)
6. Guard file.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 04] नई दिल्ली, जनवरी 29—फरवरी 4, 2017, शनिवार/माघ 9—माघ 15, 1938  
No. 04] NEW DELHI, JANUARY 29—FEBRUARY 4, 2017, SATURDAY/MAGHA 9—MAGHA 15, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2017

**सा.का.नि. 20.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, मद्रास (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 को, उन बातों के सिवाय जहां तक उनका संबंध स्टोर कीपर के से है अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, के बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी चेन्नई में स्टोर कीपर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई, स्टोर कीपर श्रेणी (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2017 हैं।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर -** पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

(B) possessing any one of the following qualifications:

**Essential:**

- (i) Degree in any subject from a recognised university with three years experience in Cash, Accounts and Budget work in a Government Office or Public Sector Undertaking or Autonomous Bodies or Statutory Organisation; or
- (ii) Degree in any subject from a recognised university with three years experience in Cash, Accounts and Budget work with completed training in Cash and Accounts Work from Institute of Secretariat Training and Management or any other training Institute recognised by Government of India.

**Desirable: -**

- (a) Pass in the Subordinate Accounts Service examination conducted by any one of the Organised Accounts Departments of Government of India; or
- (b) Bachelor's degree in Commerce or Management or Business Studies.

**Note 1:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

**Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of application.

**Note 3:** For the purpose of appointment on deputation (including short term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level and the pay matrix extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scales of pay into one grade with a common level and the pay matrix and where this benefit will extend only for the post(s) for which that level and the pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A-12018/02/2015-NTH]

D. K. SONKER, Dy. Director (NTH)

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2017

**सा.का.नि. 31.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में वैज्ञानिक सहायक भर्ती नियम, 2015 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन राष्ट्रीय परीक्षण शाला कोलकाता और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में वैज्ञानिक सहायक के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में वैज्ञानिक सहायक भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि.—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हता.—**वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, आदेश द्वारा और वहां उनके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**6. व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. वैज्ञानिक सहायक (इलेक्ट्रिकल)	17* (2017) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर -7	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अनधिक (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) <b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक:</p> <p>(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्व-विद्यालय से भौतिकी में मास्टर डिग्री; या</p> <p>(ii) सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी या इलैक्ट्रिकल एवं इलैक्ट्रॉनिक इंजीनियरी या इलैक्ट्रॉनिक्स या दूरसंचार इंजीनियरी में इंजीनियरी बेचलर्स या प्रौद्योगिकी बेचलर।</p> <p><b>वांछनीय:</b> सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की किसी प्रयोगशाला में उन्नयन इलैक्ट्रिकल या इलैक्ट्रॉनिक्स मापन का दो वर्ष का अनुभव</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> अन्यथा सुयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकाधिकार पर अहर्ता(ओं) में छूट प्रदान की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> यदि चयन के किसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग का यह मत हो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले पर्याप्त अभ्यर्थियों के पास अपेक्षित अनुभव है और उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरना संभव नहीं है तो इन समुदायों से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकाधिकार पर अनुभव से संबंधित अहर्ताओं के संबंध में छूट दी जा सकती है।</p>	<p>लागू नहीं होता</p>	<p>सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष</p>	<p>सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।</p> <p>(क) (i) नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हो; अथवा</p> <p>(ii) वेतन-मैट्रिक्स के स्तर-6 के तहत आने वाले पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) स्तम्भ 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं और वांछनीय अनुभव रखते हों।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 4:</b> प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन या स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन अथवा स्थानांतरण किया जाएगा
<b>(11)</b>
लागू नहीं होता

क्या विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है यदि हां तो, इसके संघटक क्या हैं।	परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती करने के लिए परामर्श किया जाएगा।
<b>(12)</b>	<b>(13)</b>
<b>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति:</b> 1. निदेशक ग्रेड-2 अथवा वैज्ञानिक डी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला-अध्यक्ष 2. वैज्ञानिक सी (इलैक्ट्रिकल), राष्ट्रीय परीक्षण शाला- सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला-सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	05* (2017) (* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर-7	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अनधिक (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) <b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
<b>आवश्यक:</b> (i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी में मास्टर डिग्री; अथवा (ii) सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी या मैकेनिकल इंजीनियरी या धातु विज्ञान में इंजीनियरी स्नातक या प्रौद्योगिकी स्नातक। <b>वांछनीय:</b> सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की किसी गैर-विध्वंसक परीक्षण प्रयोगशाला में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव। <b>टिप्पणी 1:</b> अन्यथा सुयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। <b>टिप्पण 1:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी। (क) (i) नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हो; अथवा (ii) वेतन-मैट्रिक्स के स्तर-6 के अधीन आने वाले पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) स्तम्भ 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं और वांछनीय अनुभव रखते हों। <b>टिप्पण 2:</b> पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी,

<p>विवेकाधिकार पर अहर्ता(ओं) में छूट प्रदान की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पणी 2:</b> यदि चयन के किसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग का यह मत हो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले पर्याप्त अभ्यर्थियों के पास अपेक्षित अनुभव है और उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरना संभव नहीं है तो इन समुदायों से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकाधिकार पर अनुभव से संबंधित अहर्ताओं के संबंध में छूट दी जा सकती है।</p>		<p>जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 4:</b> प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--	---

(11)
लागू नहीं होता

(12)	(13)
<p><b>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति:</b></p> <p>1. निदेशक ग्रेड-2 अथवा वैज्ञानिक डी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला -अध्यक्ष</p> <p>2. वैज्ञानिक सी (गैर-विध्वंसक), राष्ट्रीय परीक्षण शाला -सदस्य</p> <p>3. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला -सदस्य</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<p><b>3.</b> वैज्ञानिक सहायक (मैकेनिकल)</p>	<p>12* (2017) (* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)</p>	<p>साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित) अननुसचिवीय</p>	<p>वेतन-मैट्रिक्स में स्तर -7</p>	<p>लागू नहीं होता</p>	<p>30 वर्ष से अनधिक (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p><b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p><b>आवश्यक:</b></p> <p>(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी में मास्टर डिग्री; अथवा</p> <p>(ii) सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरी या धातु विज्ञान में इंजीनियरी स्नातक या प्रौद्योगिकी स्नातक।</p> <p><b>वांछनीय:</b> सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की किसी मैकेनिकल परीक्षण प्रयोगशाला में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>टिप्पणी 1:</b> अन्यथा सुयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकाधिकार पर अहर्ता(ओं) में छूट प्रदान की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पणी 2:</b> यदि चयन के किसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग का यह मत हो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले पर्याप्त अभ्यर्थियों के पास अपेक्षित अनुभव है और उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरना संभव नहीं है तो इन समुदायों से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकाधिकार पर अनुभव से संबंधित अहर्ताओं के संबंध में छूट दी जा सकती है।</p>	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष	<p>सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।</p> <p>(क) (i) नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हो; अथवा</p> <p>(ii) वेतन-मैट्रिक्स के स्तर-6 के अधीन आने वाले पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) स्तम्भ 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं और वांछनीय अनुभव रखते हों।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 4:</b> प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

(11)
लागू नहीं होता

(12)	(13)
<p><b>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति:</b></p> <p>1. निदेशक ग्रेड- 2 अथवा वैज्ञानिक डी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला -अध्यक्ष</p> <p>2. वैज्ञानिक सी (मैकेनिकल), राष्ट्रीय परीक्षण शाला -सदस्य</p> <p>3. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला -सदस्य</p>	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. वैज्ञानिक सहायक (भौतिकी-सिविल)	15* (2017) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर -7	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अनधिक (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) <b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
<p><b>आवश्यक:</b></p> <p>(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी में मास्टर डिग्री; अथवा</p> <p>(ii) सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कैमिकल इंजीनियरी अथवा कैमिकल प्रौद्योगिकी अथवा सिविल इंजीनियरी में इंजीनियरी स्नातक या प्रौद्योगिकी स्नातक।</p> <p><b>वांछनीय:</b> सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की किसी प्रयोगशाला में सिविल इंजीनियरिंग सामग्री परीक्षण और मूल्यांकन कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>टिप्पणी 1:</b> अन्यथा सुयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकाधिकार पर अहर्ता(ओं) में छूट प्रदान की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पणी 2:</b> यदि चयन के किसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग का यह मत हो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले पर्याप्त अभ्यर्थियों के पास अपेक्षित अनुभव है और उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरना संभव नहीं है तो इन</p>	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष	<p>सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।</p> <p>(क) (i) नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हो; अथवा</p> <p>(ii) वेतन-मैट्रिक्स के स्तर-6 के अधीन आने वाले पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) स्तम्भ 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं और वांछनीय अनुभव रखते हों।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>

समुदायों से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकाधिकार पर अनुभव से संबंधित अहर्ताओं के संबंध में छूट दी जा सकती है।			<b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। <b>टिप्पण 4:</b> प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--	--	---

(11)

लागू नहीं होता

(12)

**समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति:**

- निदेशक ग्रेड- 2 अथवा वैज्ञानिक डी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला-अध्यक्ष
- वैज्ञानिक सी (भौतिक-सिविल), राष्ट्रीय परीक्षण शाला -सदस्य
- प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला -सदस्य

(13)

संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. वैज्ञानिक सहायक (भौतिक, रबड़, प्लास्टिक एवं वस्त्र)	09* (2017) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ब' (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर -7	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अनधिक (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) <b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)

**आवश्यक:**

- किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी अथवा रसायन में मास्टर डिग्री; अथवा
- सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव सहित

(8)

लागू नहीं होता

(9)

सीधी भर्ती के लिए 2

(10)

सीधी भर्ती द्वारा।

**टिप्पण 1:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय

<p>किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कैमिकल इंजीनियरी अथवा वस्त्र प्रौद्योगिकी अथवा रबड़ प्रौद्योगिकी अथवा प्लास्टिक इंजीनियरी अथवा पॉलिमर तथा रबड़ प्रौद्योगिकी अथवा कैमिकल प्रौद्योगिकी में इंजीनियरी स्नातक या प्रौद्योगिकी स्नातक।</p> <p><b>वांछनीय:</b> सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की वस्त्र अथवा रबड़ अथवा प्लास्टिक अथवा कागज अथवा चमड़ा और उनसे निर्मित उत्पादों का परीक्षण करने वाली किसी प्रयोगशाला में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>टिप्पणी 1:</b> अन्यथा सुयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकाधिकार पर अहर्ता(ओं) में छूट प्रदान की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पणी 2:</b> यदि चयन के किसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग का यह मत हो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले पर्याप्त अभ्यर्थियों के पास अपेक्षित अनुभव है और उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरना संभव नहीं है तो इन समुदायों से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकाधिकार पर अनुभव से संबंधित अहर्ताओं के संबंध में छूट दी जा सकती है।</p>		<p>वर्ष</p> <p>सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।</p> <p>(क) (i) नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हो; अथवा</p> <p>(ii) वेतन-मैट्रिक्स के स्तर-6 के तहत आने वाले पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं और वांछनीय अनुभव रखते हों।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 4:</b> प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--	---

(11)

लागू नहीं होता

<p>(12)</p> <p><b>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति:</b></p> <p>1. निदेशक ग्रेड- 2 अथवा वैज्ञानिक डी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष</p> <p>2. वैज्ञानिक सी (भौतिक, रबड़, प्लास्टिक और वस्त्र), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य</p> <p>3. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य</p>	<p>(13)</p> <p>संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।</p>
--	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. वैज्ञानिक सहायक (रसायन)	41* (2017) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर -7	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अनधिक (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा

				सकती है।) <b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
--	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)
<p><b>आवश्यक:</b></p> <p>(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन-शास्त्र अथवा माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर डिग्री; अथवा</p> <p>(ii) सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कैमिकल प्रौद्योगिकी अथवा कैमिकल इंजीनियरी में इंजीनियरी स्नातक या प्रौद्योगिकी स्नातक।</p> <p><b>वांछनीय:</b> सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की विश्लेषणकर्ता अथवा रसायन परीक्षण प्रयोगशाला में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>टिप्पणी 1:</b> अन्यथा सुयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकाधिकार पर अहर्ता(ओं) में छूट प्रदान की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पणी 2:</b> यदि चयन के किसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग का यह मत हो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले पर्याप्त अभ्यर्थियों के पास अपेक्षित अनुभव है और उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरना संभव नहीं है तो इन समुदायों से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकाधिकार पर अनुभव से संबंधित अहर्ताओं के संबंध में छूट दी जा सकती है।</p>	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष	<p>सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।</p> <p>(क) (i) नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हो; अथवा</p> <p>(ii) वेतन-मैट्रिक्स के स्तर-6 के तहत आने वाले पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) स्तम्भ 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं और वांछनीय अनुभव रखते हों।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 4:</b> प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

(11)
लागू नहीं होता

(12)	(13)
<b>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति:</b> 1. निदेशक ग्रेड- 2 अथवा वैज्ञानिक डी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला-अध्यक्ष 2. वैज्ञानिक सी (कैमिकल), राष्ट्रीय परीक्षण शाला -सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/06/2014-एनटीएच]

डी.के. सोनकर, उपनिदेशक (एनटीएच)

New Delhi, the 2nd February, 2017

**G.S.R. 31.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Test House, Kolkata and its Regional Offices, Scientific Assistants Recruitment Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Scientific Assistants in National Test House, Kolkata and its regional offices, Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, namely :-

**1. Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the National Test House, Kolkata and its Regional Offices, Scientific Assistants Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc.** —The method of recruitment, age-limit, educational qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.

**4. Disqualifications.**—No person,-

(c) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(d) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do, it may, by order and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Scientific Assistant (Electrical)	17* (2017) (*Subject to variation depending	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-	Level 7 in the pay matrix.	Not applicable.	Not exceeding thirty years.  (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued

	on work load).	Ministerial.			by the Central Government). <b>Note:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
--	----------------	--------------	--	--	--

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
<p><b>Essential:</b></p> <p>(i) Master's Degree in Physics from a recognised University ; or</p> <p>(ii) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Electrical Engineering or Electrical and Electronic Engineering or Electronics and Telecommunication Engineering from a recognised University or Institution with one year experience in the relevant field.</p> <p><b>Desirable :</b> Two year' s experience of advanced Electrical or Electronics Measurements in a laboratory of the Government or Semi Government or of the Public Sector Undertakings.</p> <p><b>Note 1 :</b> Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2 :</b> The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection ,the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of the candidates from these communities possessing</p>	Not applicable.	Two years for direct recruits.	<p>By direct recruitment.</p> <p><b>Note 1:</b> Vacancies caused by the incumbents being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by appointing authority on deputation basis from officers of Central Government :</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis ; or</p> <p>(ii) with five years' regular service in the posts in Level 6 in the pay matrix ; and</p> <p>(b) possessing the educational qualification and desirable experience prescribed for Direct Recruits under column (7).</p> <p><b>Note 2 :</b> The departmental officers in the feeder category, who are in the direct line of promotion, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not</p>

requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			<p>be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 3 :</b> The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 4 :</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>
---	--	--	--

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption is to be made.
(11)
Not applicable.

If a Departmental Promotion committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee:</p> <p>1. Director Grade II or Scientist D, National Test House -Chairman</p> <p>2. Scientist C (Electrical), National Test House -Member</p> <p>3. Administrative Officer, National Test House -Member</p>	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Scientific Assistant (Non-Destructive).	05* (2017) (*Subject to variation depending on work load).	General central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 7 in the pay matrix.	Not applicable.	<p>Not exceeding thirty years.</p> <p>(Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p><b>Note:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p><b>Essential:</b></p> <p>(i) Master's Degree in Physics from a recognised University ; or</p> <p>(ii) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Electrical Engineering or Mechanical Engineering or Metallurgy from a recognised University or Institution with one year experience in the relevant field.</p> <p><b>Desirable:</b> Two year's experience in Non – Destructive testing laboratory of the Government or Semi Government or of the Public Sector Undertakings.</p> <p><b>Note 1 :</b> Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2 :</b> The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled castes and the Scheduled Tribes ,if at any stage of selection ,the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of the candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	Not applicable	Two years for direct recruits.	<p>By direct recruitment.</p> <p><b>Note 1:</b> Vacancies caused by the incumbents being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by appointing authority on deputation basis from officers of Central Government :</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis ; or</p> <p>(ii) with five years regular service in the posts in Level 6 in the pay matrix ; and</p> <p>(b) possessing the educational qualification and desirable experience prescribed for Direct Recruits under column (7).</p> <p><b>Note 2 :</b> The departmental officers in the feeder category, who are in the direct line of promotion, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 3 :</b> The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 4 :</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>

(11)	
Not applicable	
(12)	(13)
<p>Group' B' Departmental Confirmation Committee:</p> <p>1. Director Grade II or Scientist D, National Test House -Chairman</p> <p>2. Scientist C (Non – Destructive), National Test House -Member</p> <p>3. Administrative Officer, National Test House -Member</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Scientific Assistant (Mechanical).	12* (2017) (*Subject to	General Central Service Group 'B', Non-	Level 7 in the pay matrix.	Not applicable.	Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

	variation depending on work load.)	Gazetted, Non-Ministerial.		Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
--	------------------------------------	----------------------------	--	--

(7)	(8)	(9)	(10)
<p><b>Essential:</b></p> <p>(i) Master's Degree in Physics from a recognised University ; or</p> <p>(ii) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Mechanical Engineering or Metallurgy from a recognised University or Institution with one year experience in the relevant field.</p> <p><b>Desirable :</b> Two year's experience in Mechanical testing laboratory of the Government or Semi Government or of the Public Sector Undertakings.</p> <p><b>Note 1 :</b> Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2 :</b> The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled castes and the Scheduled Tribes ,if at any stage of selection ,the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of the candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	Not applicable.	Two years for direct recruits.	<p>By direct recruitment.</p> <p><b>Note 1:</b> Vacancies caused by the incumbents being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by appointing authority on deputation basis from officers of Central Government :</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis ; or</p> <p>(ii) with five years regular service in the posts in Level 6 in the pay matrix ; and</p> <p>(b) possessing the educational qualification and desirable experience prescribed for Direct Recruits under column (7).</p> <p><b>Note 2 :</b> The departmental officers in the feeder category, who are in the direct line of promotion, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 3 :</b> The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 4 :</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>

(11)
Not applicable.

(12)	(13)
<b>Group 'B' Departmental Confirmation Committee:</b> 1. Director Grade II or Scientist D, National Test House -Chairman 2. Scientist C (Mechanical), National Test House -Member 3. Administrative Officer, National Test House -Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Scientific Assistant (Physical-Civil).	15* (2017) (*Subject to variation depending on work load.)	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 7 in the pay matrix.	Not applicable.	Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).  <b>Note :</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Essential:</b> (i) Master's Degree in Physics or Master's Degree in Chemistry from a recognised University ; or (ii) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Chemical Engineering or Chemical Technology or Degree in Civil Engineering from a recognised University or Institution with one year experience in the relevant field.  <b>Desirable :</b> Two years' experience in the testing and evaluation of Civil Engineering Material in a laboratory of the Government or Semi Government or of the Public Sector Undertakings.  <b>Note 1:</b> Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable.	Two years for direct recruits.	By direct recruitment.  <b>Note 1:</b> Vacancies caused by the incumbents being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by appointing authority on deputation basis from officers of Central Government : (a) (i) holding analogous posts on regular basis ; or (ii) with five years regular service in the posts in Level 6 in the pay matrix; and (b) possessing the educational qualification and desirable experience prescribed for Direct Recruits under column (7).

<p><b>Note 2:</b> The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of the candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>			<p><b>Note 2 :</b> The departmental officers in the feeder category, who are in the direct line of promotion, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 3 :</b> The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 4 :</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>
---	--	--	---

(11)

Not applicable.

(12)

(13)

Group 'B' Departmental Confirmation Committee:

1. Director Grade II or Scientist D, National Test House-Chairman
2. Scientist C (Physical Civil), National Test House- Member
3. Administrative Officer, National Test House-Member

Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<p>5. Scientific Assistant (Physical, Rubber, Plastic and Textile).</p>	<p>09 * (2017) (*Subject to variation depending on work load.)</p>	<p>General Central Service Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.</p>	<p>Level 7 in the pay matrix.</p>	<p>Not applicable.</p>	<p>Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p><b>Note:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p><b>Essential:</b></p> <p>(i) Master's Degree in Physics or Master's Degree in Chemistry from a recognised University ; or</p> <p>(ii) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Chemical Engineering or Textile Technology or Rubber Technology or Plastic Engineering or Polymer and Rubber Technology or Chemical Technology from a recognised University or Institution with one year experience in the relevant field.</p> <p><b>Desirable :</b> Two years' experience in the laboratory of the Government or Semi Government or of the Public Sector Undertakings engaged in the testing of Textile or Rubber or Plastic or Paper or Leather and their products.</p> <p><b>Note 1:</b> Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2 :</b> The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled castes and the Scheduled Tribes ,if at any stage of selection ,the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of the candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	Not applicable.	Two years for direct recruits.	<p><b>By direct recruitment.</b></p> <p><b>Note 1:</b> Vacancies caused by the incumbents being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by appointing authority on deputation basis from officers of Central Government :</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis ; or</p> <p>(ii) with five years regular service in the posts in Level 6 in the pay matrix; and</p> <p>(b) possessing the educational qualification and desirable experience prescribed for Direct Recruits under column (7).</p> <p><b>Note 2 :</b> The departmental officers in the feeder category, who are in the direct line of promotion, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 3 :</b> The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 4 :</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>

(11)
Not applicable.

(12)	(13)
<p>Group ' B' Departmental Confirmation Committee:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director Grade II or Scientist D, National Test House -Chairman</li> <li>2. Scientist C (Physical, Rubber, Plastic and Textile), National Test House-Member</li> <li>3. Administrative Officer, National Test House -Member</li> </ol>	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Scientific Assistant (Chemical).	41* (2017) (*Subject to variation depending on work load.)	General Central Service,  Group 'B', Non- Gazetted, Non- Ministerial.	Level 7 in the pay matrix.	N.A.	Not exceeding thirty years.  (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).  Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
<p><b>Essential:</b></p> <p>(i) Master's Degree in Chemistry or Microbiology from a recognised University ; or</p> <p>(ii) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Chemical Technology or Chemical Engineering from a recognised University or Institution with one year experience in the relevant field.</p> <p><b>Desirable:</b> Two years experience in an analytical or chemical testing laboratory of the Government or Semi Government or of the Public Sector Undertakings.</p> <p><b>Note 1:</b> Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2 :</b> The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled castes and the Scheduled Tribes ,if at any stage of selection ,the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of the candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	Not applicable.	Two years for direct recruits.	<p><b>By direct recruitment.</b></p> <p><b>Note 1:</b> Vacancies caused by the incumbents being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by appointing authority on deputation basis from officers of Central Government :</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis ; or</p> <p>(ii) with five years regular service in the posts in Level 6 in the pay matrix ;and</p> <p>(b) possessing the educational qualification and desirable experience prescribed for Direct Recruits under column (7).</p> <p><b>Note 2 :</b> The departmental officers in the feeder category, who are in the direct line of promotion, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 3 :</b> The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 4 :</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>

(11)
Not applicable.

(12)	(13)
<b>Group' B' Departmental Confirmation Committee:</b> 1. Director Grade II or Scientist D, National Test House-Chairman 2. Scientist C (Chemical), National Test House-Member 3. Administrative Officer, National Test House-Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A.12018/06/2014-NTH]

D.K.SONKER, Dy. Director (NTH)

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2017

**सा.का.नि. 32.**— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कार्यालय अधीक्षक, भर्ती नियम, 2015 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, राष्ट्रीय परीक्षण शाला में कार्यालय अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कार्यालय अधीक्षक भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन-मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हता.**—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, आदेश द्वारा और वहां उनके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**6. व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।